

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹.10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

प्ररूप-20

उत्तराखण्ड, UTTARAKHAND (नियम 4 के देखिए)
 का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
 प्रमाणपत्र।

मे, दिवाकर भट्ट पुत्र / पुत्री / पत्नी भोला दत्त भट्ट

वर्ष, जो ग्राम: सुपार, पट्टी: बडियारा, पो.ओ. बडियार, दि.शका / की
 निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ। शपथ पर
 निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ:-


1. कि मैं ऐसे किसी लम्बित मामलों में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध
 (आरोपों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित
 किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी, लाशुनदी
 मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... 21-4
 पुलिस थाना (थाने) 21-4 जिला (जिले)..... 21-4
 राज्य..... 21-4

- (ii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराध) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... 21-4.....
- (v) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... 21-4.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गए थे..... 21-4.....
- (i) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा राकी गई है / हैं..... 21-4.....

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951) (1951 का 43) की धारा-8 की धारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्ध दोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :



- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ 21-4
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है 21-4
- (iii) पुलिस थाना (थाने) 21-4 जिला (जिले) 21-4
राज्य 21-4
- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है 21-4
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे 21-4
- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं 21-4

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 12-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

नई दिल्ली स्थान पर आज तारीख 12-01-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: - इस प्रारूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जायें।



Notary affirmed by deponent
Shri Balraj K. S/O. Basu dutt
R/o S.P. Patti. B. Jakhani, Distt
on 12-1-12
BIJENDRA PRASAD PANT
Advocate
Notary Jakhani
Tehsil Garhwal